



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082025-265402
CG-DL-E-13082025-265402

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3587]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 2025/श्रावण 21, 1947

No. 3587]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 2025/SHRAVANA 21, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2025

का.आ. 3679(अ).—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 16 दिसंबर 2024, द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5430(अ), तारीख 13 दिसंबर 2024 के प्रकाशन पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि में और ऐसी भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है) में के और उस पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विलंगमो से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं;

और केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो गया है कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिला राँची, झारखंड (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए सहमत है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित भूमि 229.57 एकड़ (लगभग) अथवा 92.91 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली उक्त भूमि में अथवा उस पर के सभी अधिकार तारीख 16 दिसंबर, 2024 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाय, निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात्:

- i. सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम और अन्य सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, क्षतियों आदि और वैसी ही मदों की बाबत सभी संदाय करेगी;
- ii. उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन अधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसमें शर्त (i) के अधीन सरकारी कंपनी द्वारा संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, और ऐसे किसी अधिकरण और उक्त अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे, और इसी प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपील आदि सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे;
- iii. सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदाधिकारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदाधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो;
- iv. सरकारी कंपनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि और उसके अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण करने की शक्ति नहीं होगी; और
- v. सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं।

[फा. सं. 43015/12/2022-एलएआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2025

S.O. 3679(E).— Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 5430(E), dated the 13th December, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 16th December, 2024, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) are vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And whereas the Central Government is satisfied that the Central Coalfields Limited, Ranchi, Jharkhand (hereinafter referred to as the Government company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said land measuring 229.57 acres (approximately) or 92.91 hectares (approximately) with all rights in or over the said land so vested shall with effect from 16th December, 2024, instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government company, subject to the following terms and conditions, namely:-

- (i) the Government company shall reimburse to the Central Government all payments in respect of compensation, interest, damages, etc., as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws;
- (ii) a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the Government company under condition (i), and all expenditures incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc., for or in connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be borne by the Government company;
- (iii) the Government company shall indemnify the Central Government and its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said land so vested;

-
- (iv) the Government company shall have no power to transfer the said land and rights to any other persons without the prior approval of the Central Government; and
- (v) the Government company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land as and when necessary.

[F. No. 43015/12/2022-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.